भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II खंड 2 के उप खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

9th **मार्च, 2016**

अधिसूचना

सा. आ...... जबकि उड़ान AI 191 का प्रचालन करते समय मेसर्स एअर इंडिया का B777 विमान VT-ALJ, अहमदाबाद से मुंबई उड़ान के दौरान दिनांक 23.02.2016 को मुंबई में गंभीर घटना का शिकार हो गया था ।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को यह उचित प्रतीत होता है कि इस घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी गंभीर घटना की पुनरावृति से बचने के लिए सिफारिशें करना व्यावहारिक है।

अब, वायुयान (दुर्घटना एवं घटना जांच) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा इस गंभीर घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार श्री राजे भटनागर, सहायक निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य के साथ एक जांच समिति नियुक्त करती है:-

(i) डॉ जितेंदर लोढा, सहायक निदेशक, एएआईबी, सदस्य के रूप में

(ii) श्री जसबीर सिंह लारघा, सहायक निदेशक, एएआईबी, सदस्य के रूप में

समिति, जब कभी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(बी एस भुल्लर)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.एवी-15029/2/2016-डीजी

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी
बाहरी रिंग रोड, नई दिल्ली

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 2 SUB-SECTION (ii) OF THE EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI

9th March, 2016

NOTIFICATION

S.O.... Whereas M/s Air India B777 aircraft VT-ALJ met with a Serious Incident at Mumbai on 23.02.2016 while operating flight AI-191 from Ahmedabad to Mumbai.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said serious incident and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the serious incident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Shri Raje Bhatnagar, Assistant Director, AAIB with following members:

(i) Dr Jitender Loura, Assistant Director, AAIB as member

(ii) Shri Jasbir Singh Largha, Assistant Director, AAIB as member

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

(B. S. Bhullar)
Joint Secretary to Govt. of India

No. AV- 15029/2/2016-DG

To,

The Manager,
Govt. of India Press, Mayapuri
Outer Ring Road, New Delhi